



राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ 1008(22)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/499 दिनांक : 11/07/16


परिपत्र

विषय:- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को दिनांक 13.07.2016 से भामाशाह कार्ड पर लागू करने के संबंध में।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ 1008(32)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना /2015-16/486 दिनांक 04.07.2016 के द्वारा आप सभी को सूचित किया जा चुका है कि दिनांक 13.07.2016 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना केवल भामाशाह कार्ड पर ही संचालित होगी। अतः सभी चिकित्सालय एवं चिकित्सालयों में कार्यरत स्वास्थ्य मार्गदर्शक यह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी परिवार की पहचान केवल भामशाह कार्ड से ही की जानी है। अब राशन कार्ड से NFSA परिवार की पहचान की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। दिनांक 13.07.2016 से रात्रि 12 बजे पश्चात् योजना के लाभार्थियों की पहचान केवल भामाशाह कार्ड द्वारा ही की जायेगी।

सभी निजी एवं सरकारी अस्पताल अपने मुख्य द्वार के बाहर एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के काउन्टर पर इस संबंध में पलैक्स बोर्ड लगाकर लाभार्थियों को सूचना हेतु प्रदर्शित करें।


नोट:- यदि किसी वास्तविक NFSA के लाभार्थी परिवार की सुनिश्चितता सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं होती है, तो उसे सलाह दी जावे कि अपने नजदीकी ई-मित्र पर राशन कार्ड ले जाकर अपने राशन कार्ड की एन्ट्री परिवार की महिला मुखिया के भामाशाह कार्ड में करा लें।


(बी.एल.कोठारी)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक: एफ(22)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/499 दिनांक : 11/7/16
प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. जिला कलक्टर (समस्त जिले)।
7. जिला नोडल अधिकारी (RAS RANK),(समस्त)
8. उप महाप्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेन्स
9. संभाग संयुक्त निदेशक, (समस्त संभाग)
10. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल, (समस्त)
11. जिला नोडल अधिकारी समस्त,
12. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (समस्त संभाग)
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)
15. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क)
16. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से संबद्ध समस्त निजी अस्पताल
17. सेन्ट्रल सर्वर रूम - ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी